भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 734

29 नवम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल कॉलेज में रिक्तियां

734. श्री राधेश्याम राठिया:

श्री देवेश शाक्य:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर के जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में बड़ी संख्या में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाया है/उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सैफई, एटा, कासगंज, इटावा, औरैया, कन्नौज सहित उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश सहित देश भर के मेडिकल कॉलेजों में उपकरणों , बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं की कमी के मुद्दे को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इन जिलों में मरीजों को दी जा रही दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या संचारी रोगों की रोकथाम के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाएं पर्याप्त हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क): स्वास्थ्य मानव संसाधन से संबंधित सभी प्रशासनिक और कार्मिक मामले संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधीन हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों प्रदेशों को समग्र संसाधन सीमा के भीतर उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत की गई आवश्यकताओं के आधार पर उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

एनएचएम के तहत, देश के ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय दिए गए हैं:

- ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ते दिए जाएं ताकि वे ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवा करने के लिए आकृष्ट हों।
- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सिजेरियन सेक्शन के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ/आपातकालीन प्रसूति परिचर्या (ईएमओसी) प्रशिक्षित, बाल रोग विशेषज्ञ एवं एनेस्थेटिस्ट/लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया स्किल्स (एलएसएएस) प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय भी प्रदान किया जाता है।
- डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यकलापों के संचालन के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
- राज्यों को विशेषज्ञ को आकर्षित करने के लिए नेगोशिएबल वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन शामिल है।
- एनएचएम के अंतर्गत गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार करना भी शुरू किया गया है।
- विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एक अन्य प्रमुख कार्यनीति है।

मेडिकल कॉलेज मुख्य रूप से राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं और इन कॉलेजों में रिक्त पदों को राज्य सरकारों द्वारा भरा जाता है।

(ख) और (ग): उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों सहित जिला अस्पतालों में डॉक्टरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) पर निम्नानुसार उपलब्ध है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

(घ): देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एमबीबीएस सीटें और पीजी सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का संचालन करता है। इन योजनाओं के तहत, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में यूजी/पीजी सीटें बढ़ाने के लिए सिविल कार्यों, उपकरणों और फर्नीचर के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी लागत सीमा 1.20 करोड़ रुपये प्रति सीट है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा।

देश में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए सीएसएस के तहत, 17 राज्यों में 83 सरकारी मेडिकल कॉलेजों (यूपी में 7 और छत्तीसगढ़ में 3 सहित) को 4977 एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसमें यूपी में 432 एमबीबीएस सीटें और छत्तीसगढ़ में 150 एमबीबीएस सीटें शामिल हैं।

साथ ही, 'नए पीजी विषयों को शुरू करने और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ करने और उन्नत बनाने' के लिए सीएसएस के तहत, उत्तर प्रदेश में 556 पीजी सीटों और छत्तीसगढ़ में 79 पीजी सीटों सहित 8058 सीटों को 2 चरणों में अनुमोदित किया गया है।

(ङ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निःशुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) शुरू की है। इसके तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन सीमा के भीतर उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में उनके द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क आवश्यक दवाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत औषधियों की खरीद और खरीद की मजबूत प्रणाली को सुदृढ़ करने/स्थापित करने, गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और भंडारण, नुस्खे लेखा परीक्षण, शिकायत निवारण, मानक उपचार दिशानिर्देशों के प्रसार और आवश्यक दवाओं की खरीद और उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की निगरानी के लिए आईटी सक्षम प्लेटफॉर्म डीवीडीएमएस (ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध है।

(च) और (छ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय विभिन्न संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी), राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) और राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी) सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कार्यक्रमों के कुछ प्रमुख परिणाम निम्नानुसार हैं:

- वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2023 में मलेरिया के मामलों और मौतों में क्रमशः 79.35% और 85.07% की कमी आई है।
- प्रति 10,000 जनसंख्या पर <1 कालाजार मामले के उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करने वाले कालाजार स्थानिक ब्लॉकों का प्रतिशत वर्ष 2023 के अंत तक 100% है।
- डेंगू के लिए केस मृत्यु दर (सीएफआर) को 1 प्रतिशत से कम रखने का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।
- वैश्विक टीबी रिपोर्ट के अनुसार, प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर तपेदिक के मामले वर्ष 2015 में 237 से घटकर वर्ष 2023 में 195 हो गई है और मृत्यु दर वर्ष 2015 में 28 से घटकर वर्ष 2023 में 23 हो गई है।
- प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1 से कम कुष्ठ रोग वाले जिलों की संख्या वर्ष 2014-15 में 542 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 634 हो गई है।

******